FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0050 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2025 19:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 04/03/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:14 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2025 19:11:28 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 125 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** GRAM PANCHYAT BHAWAN 3 PWM, KHAJUWALA,JILA BIKANER
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SATPAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANFOOL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 28/02/2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	23 KYED B,KHAJUVALA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	23 KYED B,KHAJUVALA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEEPCHAND MEENA		पिता:BANSHILAL MEENA	1. CHAK 6 KKM,DANDI,POOGAL,BIKANER, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 03.03.2025 को परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम बिश्नोई, उम्र 44 वर्ष, पेशा खेती, निवासी 23 केवाईडी-बी, खाजूवाला, जिला बीकानेर ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर, विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी सतपाल पुत्र श्री मनफूल राम बिश्नोई उम्र 44 साल पेशा खेती निवासी 23 केवाईडी (बी) खाजुवाला का रहने वाला हूं। मुझ प्रार्थी के पिताजी श्री मनफूलराम जी के नाम से सिंचित/असिंचित 11 बीघा जमीन चक 23 केवाईडी (बी) खाजुवाला में है। मेरे पिताजी का दिनांक 22.06.2024 को स्वर्गवास हो गया। हमारा वारिसनामा नहीं बनने के कारण मेरे पिताजी के नाम की उक्त भूमि का नामान्तकरण हमारे पक्ष में दर्ज नहीं हुआ। पिछले साल मैनें मूंग व ग्वार की फसल काश्त की थी। खाजुवाला क्षेत्र में ज्यादा बरसात होने के कारण मेरी फसल खराब हो गई जिसकी गिरदावरी हुई और सरकार ने खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की घोषणा की थी। जिस पर मैनें मेरे खेत की जमाबन्दी, गिरदावरी व मेरा पहचान पत्र आदि कागजात मुआवजे के लिये हमारे हल्का पटवारी श्री दीपचन्द जी मीणा को खाजुवाला में दिये थे। कल दिनांक 02.03.2025 को मेरे मोबाईल नम्बर 9784148237 पर पटवारी जी के मोबाईल नम्बर 9079199100 से वक्त करीब 11.00 बजे कॉल आया और मुझे कहा कि मैं पटवारी बोल रहा हूं आप खाजुवाला आओ आपके मुआवजे के सम्बन्ध में बात करनी है। इस पर मैं मेरी ढाणी से रवाना होकर खाजुवाला में पटवारी जी के क्वार्टर पर गया और उनसे मिला तो उन्होनें मुझे कहा कि आपके कागज सही नहीं है। आपको मुआवजे की राशि नहीं मिलेगी यदि आप मेरे को 9000 रूपये देते हो तो आपको मैं मुआवजा राशि दिलवा दूंगा। पटवारी दीपचन्द 9000 रूपये लिये बिना मेरा मुआवजा का काम नहीं करेगा। मैं पटवारी को रिश्वत की राशि 9000 रूपये नहीं देना चाहता। मैं उसको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी पटवारी श्री दीपचन्द मीणा से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई उधारी का लेन-देन है। रिपोर्ट देता हूं कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 03.03.2025, प्रार्थी एसडी सतपाल पुत्र श्री मनफूल राम, निवासी 23 केवाईडी (बी) खाजुवाला, जिला बीकानेर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस महेश श्रीमाली को अपने कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति का नाम श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम, निवासी 23 केवाईडी-बी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर होना बताते हुए ब्यूरो का परिवादी होना बताया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री सतपाल का टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए सुपुर्द किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम को हमराह लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम ने पूछने पर बताया कि मेरे पिताजी श्री मनफूलराम जी के नाम से 11 बीघा जमीन चक 23 केवाईडी बी, खाजूवाला में है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण अभी तक हमारे पक्ष में दर्ज नहीं हुआ है। पिछले वर्ष मैंने मूंग व गवार की फसल काश्त की थी। ज्यादा बरसात होने के कारण फसल खराब हो गई। सरकार ने खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की घोषणा की थी। मैंने मेरे खेत की जमाबंदी गिरदावरी व मेरा पहचान पत्र मेरी माताजी का जन आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड पटवारी श्री दीपचंद को मुआवजे के लिए आठ दस दिन पहले दिये थे। कल दिनांक 02.03.2025 को मेरे मोबाईल नंबर [redacted] पर पटवारी श्री दीपचंद के मोबाईल नंबर [redacted] से फोन आया था। पटवारी जी ने मुझे कहा आप खाजूवाला आओ, आपके मुआवजे के संबंध में बात करनी है। मैं पटवारी जी के क्वार्टर पर गया, तो पटवारी जी ने मुझे कहा कि आपके कागज सही नहीं हैं। आप मुझे 9000/-रूपये खर्चा पानी देते हो तो मैं आपको मुआवजा दिलवा दूंगा। पटवारी जी ने मुझे कहा कि आप मुझे खर्चा पानी दोगे तो भूमि के खाते के सहमति पत्र प्राप्त करके आपको मैं मुआवजा दिलवा दूंगा। सहमति पत्र देने पर मुआवजा मिल जायेगा। पटवारी ने मेरी कृषि भूमि पर फसल खराबा की करीब 35000/-रूपये मुआवजा राशि मिलना बताया जिसके लिए 9000/-रूपये कागजात की पूर्ति कर मुआवजा दिलवाने की एवज में मांगे जा रहे हैं। मैं पटवारी श्री दीपचंद मीणा को रिश्वत नहीं देना चाहता रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री दीपचंद मीणा पटवारी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई उधारी का लेन-देन है। यह प्रार्थना पत्र मैं मेरे परिचत व्यक्ति से टाईप करवाकर लाया हूं। जिस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट परिवादी एवं पूछताछ से आये तथ्यों से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने पर परिवादी श्री सतपाल को आरोपी द्वारा रिश्वत की

मांग किये जाने के तथ्यों की सत्यापन कार्यवाही की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया, तो परिवादी श्री सतपाल ने बताया कि पटवारी श्री दीपचंद राजस्व क्वार्टर खाजूवाला में रहता है। मैं पटवारी से उसके क्वार्टर में मिलकर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। इस पर श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक का परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा श्री जगदीश चौधरी से मालखाना से नया मैमोरी कार्ड व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी श्री सतपाल व श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक को वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया समझाई गई। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वक्त 01.41 पीएम पर नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया जाकर हिदायत की गई कि खाजूवाला पहुंचकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करावें। वक्त 01.45 पीएम पर श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक को परिवादी श्री सतपाल के साथ गोपनीय सत्यापन कार्यवाही हेतु खाजूवाला के लिए हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 10.00 पीएम पर श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक गोपनीय सत्यापन कार्यवाही में रवानाशुदा उपस्थित आया। श्री जगदीश चौधरी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री सतपाल के साथ बीकानेर से जरिए बस रवाना होकर वक्त करीब 4.30 पीएम पर खाजूवाला पहुंचा। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी पटवारी श्री दीपचंद मीणा के सरकारी क्वार्टर से कुछ पहले मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी को चालू कर सुपुर्द कर आरोपी पटवारी से वार्ता करने हेतु भेजा। परिवादी श्री सतपाल कुछ ही देर में गोपनीय स्थान पर मेरे पास वापिस आया, जिससे मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री दीपचंद अभी क्वार्टर पर नहीं है, मैंने उसके मोबाईल पर बात की है तो करीब आधा घंटे में आने के लिए कहा है। फिर हम दोनों वहीं आस पास मुकीम हुए। कुछ देर बाद परिवादी के मोबाईल पर कॉल आई, जिसे अटैंड करके परिवादी ने मुझे बताया कि परिवादी श्री दीपचंद मीणा का फोन था। पटवारीजी क्वार्टर पर आ गये हैं। इस पर मैंने पुनः डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री सतपाल को सुपुर्द कर आरोपी श्री दीपचंद मीणा पटवारी से वार्ता करने हेतु रवाना किया, जो करीब 10 मिनट बाद मेरे पास वापिस आया, जिससे मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री दीपचंद से मेरी वार्ता हो गई है, पटवारी जी 8000/-रूपये लेने के लिए सहमत हुआ है और कल मुझे 8000/-रूपये लेकर बुलाया है। परिवादी ने बताया कि मुझे आवश्यक काम है, मैं सुबह आपके बीकानेर ऑफिस में आ जाऊंगा। इस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई तथा रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी के प्रार्थना पत्र के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। दिनांक - 04.03.2025 को वक्त 10.00 एएम पर परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 03.03.2025 को पटवारी के सरकारी आवास पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू हालत में लेकर वार्ता करने गया था। पटवारी जी अपने क्वार्टर पर उपस्थित नहीं मिले। फिर मैंने मेरे मोबाईल से पटवारी जी के मोबाईल पर वार्ता की तो आधे घंटे में आने का कहा था, तो मैं जगदीश जी के पास वापिस आ गया था, जिन्होंने मेरे से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रख लिया था। कुछ देर बाद पटवारीजी का फोन आने पर मैं चालूशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर वार्ता करने के लिए गया था। पटवारीजी से मैंने मेरे काम की बात करते हुए कहा कि पांचेक हजार में नाको लाग ज्याई के, तो पटवारीजी ने कहा पैंमेंट तो जितो लागसी जितो आपां कह्यो हो, जिते मैं बात हुई बितो ही लाग्ही। मैंने पटवारीजी से कहा कि आज होवे कोनी यारो, तो पटवारी ने कहा कि काल कर दिया तो। मैंने दो हजार और के लिए कहा तो पटवारी ने कहा नहीं चार। फिर मैंने कहा कि नौ थोड़ी होवे है, नौ किंया कर द्यूं गरीब आदमी हूं। तो पटवारी ने कहा कि तीन ल्या दिया। पटवारी जी आठ हजार रूपये रिश्वत के लेने के लिए सहमत हुआ है। वार्ता करने के बाद मैं वापिस जगदीश जी के पास आ गया, जिन्होंने मेरे से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रख लिया था। पटवारी जी ने मेरे से 9000/-रूपये मांगे थे और आठ हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर आज ही बुलाया है। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को परिवादी व श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्यूटर पर कनैक्ट करके सुना गया तो परिवादी ने आरोपी की व स्वयं की आवाज की पहचान की, वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादी को आज ही रिश्वती राशि लेकर बुलाया है, समयाभाव के कारण सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रKसक्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। परिवादी ने जाहिर किया कि मेरे पास अभी पैसों की व्यवस्था नहीं हुई है। अभी यहां पास से ही ई-मित्र से पैसे निकलवाने हैं। इस पर परिवादी को कार्यवाही हेतु 8000/-रूपये की व्यवस्था करने हेतु हिदायत कर रूखस्त किया गया। इस दौरान गवाह तलबी करने पर श्री हरिराम कानिस्टेबल मय श्री लालचंद सहायक विकास अधिकारी व श्री बीरबल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर के उपस्थित आया। दोनों कार्मिकों को परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों व सत्यापन कार्यावाही के तथ्यों से अवगत करवाया जाकर ब्यूरो की कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर श्री लालचंद व श्री बीरबल ने अपनी-अपनी सहमति दी। परिवादी श्री सतपाल रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8000/-रूपये की व्यवस्था करके उपस्थित आया। परिवादी श्री सतपाल का श्री लालचंद सहायक विकास अधिकारी व श्री बीरबल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम ने रूबरू गवाहान के कार्यवाही हेतु रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500

रूपये के 16 नोट कुल 8000/-रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। नोटों पर श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक कार्यालय हाजा से पाउडर लगवाया जाकर कार्यवाही की फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार की गई। वक्त 12.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री लालचंद सहायक विकास अधिकारी, श्री बीरबल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, परिवादी श्री सतपाल, ब्यूरो के श्री जयकुमार पुलिस निरीक्षक, श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक नंबर 127, श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल नंबर 186, श्री हरिराम कानिस्टेबल नंबर 210, श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 मय विडियोकैमरा, ट्रेप कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स सहित जरिए निजी वाहन व किराये के प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु खाजूवाला के लिए रवाना होकर वक्त 01.50 पीएम पर बस स्टैण्ड खाजूवाला के पास पहुंचा। परिवादी श्री सतपाल को हिदायत की गई कि रिश्वत लेन-देन के बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नंबर अथवा श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ईशारा करें। श्री बजरंग सिंह के मोबाईल नंबर परिवादी को अवगत करवाये गये व परिवादी के मोबाईल नंबर श्री बजरंग सिंह के मोबाईल में दर्ज करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री सतपाल को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर आरोपी श्री दीपचंद मीणा पटवारी से सम्पर्क करने हेतु आरोपी के निवास राजस्व क्वार्टर की ओर रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री बजरंग सिंह सउनि व श्री हरिराम कानिस्टेबल को रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय शेष हमराहियान जाब्ता के अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय रूप से आस पास मुकीम रहे। वक्त 02.05 पीएम परिवादी श्री सतपाल राजस्व कॉलोनी खाजूवाला में एक क्वार्टर से बिना ईशारा करते हुए श्री बजरंग सिंह सउनि के पास उपस्थित आया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री बजरंग सिंह सउनि के मोबाईल पर वार्ता कर जानकारी चाही गई तो श्री बजरंग सिंह सउनि ने अवगत करवाया कि परिवादी ने कहा है पटवारी अभी क्वार्टर में नहीं है। परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर बात की जो पटवारी ने परिवादी को शाम तक आने के लिए कहा है और कहा है कि मैं ग्राम पंचायत 3 पावली में है, आप यहां आ जाओ। इस पर श्री बजरंग सिंह सउनि के जरिए परिवादी को अवगत करवाया गया कि खाजूवाला में कोई मोटर साईकिल की व्यवस्था करें तथा साईड में मुकीम हमराही निजी एवं प्राईवेट किराये के वाहन के पास आने की हिदायत की गई। श्री बजरंग सिंह को परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। कुछ देर बाद परिवादी श्री सतपाल, श्री हरिराम कानिस्टेबल व श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक उपस्थित आया। श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सतपाल ने बताया कि पटवारी जी क्वार्टर पर नहीं है, जिनके मोबाईल पर मैंने बात की है। पटवारीजी क्वार्टर पर करीब 5 बजे तक आयेंगें। मुझे कहा है कि तूं ग्राम पंचायत 3 पावली आ जा यहां बैठा हूं। इस पर परिवादी से जानकारी ली गई तो अवगत करवाया कि 3 पावली यहां से आठ नौ किलोमीटर दूरी पर है। परिवादी को एक मोटरसाईकिल की व्यवस्था करने के बारे में अवगत करवाया तो परिवादी ने बताया कि मैं यहीं पास से मोटरसाईकिल की व्यवस्था कर लूंगा। इस पर परिवादी को मोटरसाईकिल की व्यवस्था करने हेतु श्री हरिराम कानि. के साथ बाजार की तरफ रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री सतपाल मय श्री हरिराम कानि. मोटरसाईकिल सहित उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से ग्राम पंचायत 3 पावली के लिए रवाना कर इसके पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री लालचंद स्वतंत्र गवाह, श्री बजरंग सिंह सउनि, श्री हरिराम कानिस्टेबल निजी वाहन से तथा श्री जयकुमार पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री बीरबल, ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक, श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल, श्री भगवानदास कानिस्टेबल किराये के प्राईवेट वाहन से रवाना हुए। परिवादी श्री सतपाल जरिए मोटरसाईकिल आगे आगे रवानाशुदा ग्राम पंचायत 3 पावली से कुछ पहले उचित स्थान पर रूका, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के वाहनों सहित परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी ने बताया कि पंचायत भवन 3 पावली करीब 400 मीटर इसी रोड़ पर बांयी साईड में है। इस पर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के दोनों वाहनों से मुख्य सडक पर कुछ आगे चल कर उचित दूरी पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। वक्त 03.14 पीएम पर परिवादी श्री सतपाल द्वारा अपने मोबाईल नंबर [redacted] से श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नंबर [redacted] पर मिसकॅाल कर ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त गवाह श्री लालचंद, श्री बीरबल, ब्यूरो के श्री जयकुमार पुलिस निरीक्षक, श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम, श्री भगवान दास कानिस्टेबल के अविलम्ब ग्राम पंचायत भवन 3 पीडब्ल्यूएम के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो परिवादी मुख्य द्वार पर खड़ा मिला परिवादी ने बताया कि पटवारीजी ग्राम पंचायत के भवन में बैठे हैं, अभी अभी मेरे से पूर्व मांग के अनुसार 8000/-रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर अपने पहनी पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हैं, जो पटवारीजी की जेब में हैं। इस दौरान परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री सतपाल को साथ लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त सभी के ग्राम पंचायत भवन में प्रवेश होते ही दाहिनी साईड के सरपंच कक्ष में टेबल व कुर्सी लगी हुई पर एक हृष्ट पुश्ट लड़का बैठा मिला, जिसकी तरफ ईशारा कर परिवादी श्री सतपाल ने पटवारी होना बताया। श्री भगवानदास कानिस्टेबल से विडियो कैमरा चालू करवाकर विडियोग्राफी शुरू करवाई गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने

अपना व हमराहियान का परिचय देकर कुर्सी पर बैठे लड़के से परिचय पूछने पर अपना नाम श्री दीपचंद मीणा हाल राजस्व पटवारी हल्का 3 पीडब्ल्यूएम खाजूवाला होना बताया। पटवारी श्री दीपचंद से परिवादी श्री सतपाल को जानने के बारे में पूछा गया तो पटवारी श्री दीपचंद ने गर्दन हिलाते हुए इनकार किया। परिवादी से संबंधित कोई कार्य लंबित होने का पूछने पर पटवारी श्री दीपचंद ने अपने पास कोई कार्य लंबित होना नहीं बताया, जिस पर मौजूदा परिवादी श्री सतपाल ने बताया कि मेरी फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने की एवज में पटवारी श्री दीपचंद ने मेरे से 9000/-रूपये मांगे थे और सत्यापन के दिन आठ हजार रूपये का लेन-देन तय किया था। आज मुझे खाजूवाला में क्वार्टर पर बुलाया था, फिर मेरी मेरे मोबाईल नं. [redacted] से पटवारी जी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर बात हुई तो मुझे ग्राम पंचायत 3 पावली आने के लिए कहा, मेरे खराबे के संबंध में कागजात पूर्व में पटवारीजी को दिये हुए हैं। रिश्वती राशि पटवारीजी के पहनी पैंट की जेब में है। मौके पर रिश्वत राशि लेन-देन की ताईद होने पर श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री दीपचंद मीणा पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किये गये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी श्री दीपचंद मीणा पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे के डूबोकर धुलवाया गया, तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किये गये। उक्त धोवन की शीशियों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। धोवन में प्रयुक्त प्लास्टिक के गिलासों को कैंची से काटकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात श्री दीपचंद पटवारी को रिश्वती राशि पेश करने के निर्देश पर आरोपी श्री दीपचंद मीणा ने अपने पहने पेंट की सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये की एक थेई निकाल कर प्रस्तुत की, जो गवाह श्री बीरबल को दिलवाकर गिनवाई गई तो गवाह ने गिनकर 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000/-रूपये होना बताये। दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से नोटों के नंबरों का मिलान करवाने पर गवाहान ने नोटों के नंबर हूबहू होने की ताईद की। बरामद नोटों का विवरण निम्नानुसार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट नम्बर 1. एक 500 रूपये का नोट 5GS 026129 2. एक 500 रूपये का नोट 8HF 012836 3. एक 500 रूपये का नोट 1AF 225633 4. एक 500 रूपये का नोट 7DV 647069 5. एक 500 रूपये का नोट 3FU 625578 6. एक 500 रूपये का नोट 8PL 637681 7. एक 500 रूपये का नोट 2SN 358485 8. एक 500 रूपये का नोट 5HS 435204 9. एक 500 रूपये का नोट 4KR 123850 10. एक 500 रूपये का नोट 6UQ 921468 11. एक 500 रूपये का नोट 7TD 057698 12. एक 500 रूपये का नोट 2CF 278565 13. एक 500 रूपये का नोट 3WP 416554 14. एक 500 रूपये का नोट 1GR 991795 15. एक 500 रूपये का नोट 2HS 135363 16. एक 500 रूपये का नोट 6DF 023526 उक्त नोटों को एक सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री दीपचंद मीणा राजस्व पटवारी के पहनने हेतु एक लॉवर की व्यवस्था करवाकर आरोपी के पहनी हुई पेंट बरंग खाखी को उतरवाकर लॉवर पहनाया जाकर उक्त पैंट की सामने की दाहिनी जेब को उल्टवाकर पूर्व अनुसार एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का धोल तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के गिलास में पेंट की जेब को डूबोकर धोया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किये गये। पेंट की जेब को सुखाकर पेंट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त माल वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी पटवारी श्री दीपचंद मीणा से फसल खराबा का मुआवजा के संबंध में पूछने पर बताया कि सिंचित क्षेत्र में 8 बीघा या उससे ऊपर भूमि होने पर 35000/-रूपये तथा आठ बीघा से कम भूमि होने पर 17000/-रूपये राज्य सरकार के आदेशानुसार देय है। मुआवजा के लिए पटवारी द्वारा 7डी फोर्मेट भरकर भिजवाया जाता है, फिर मुआवजा के आदेश कलेक्ट्रेट में प्राप्त होता है, जो तहसील कार्यालय में प्राप्त होने पर जरिए मैल/वाटसएप तहसील कार्यालय से प्राप्त होता है। तत्पश्चात संबंधित काश्तकार से जमाबंदी, गिरदावरी, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोप्रति प्राप्त कर डीएमआईएस पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से उक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करते हैं। सतपाल नाम से मेरे पास कोई कागजात नहीं हैं, इसके परिवार से कोई हो तो मुझे याद नहीं हैं। इसने मुझे परिवार के कोई दस्तावेज दिये थे, तो मेरी याददास्त में नहीं हैं। कल सतपाल मेरे पास आया था और इसने फसल खराबे के मुआवजे के लिए मेरे से बातचीत की थी, तब मैंने इसको कागजात लाने के लिए कहा था । मौके पर परिवादी श्री सतपाल ने बताया कि साहब कल शाम को मैं पटवारीजी के क्वार्टर पर मिला था, मेरे पिताजी श्री मनफूल राम का स्वर्गवास हो चुका है, मेरे पिताजी के नाम से जमाबंदी, गिरदावरी, मेरी माताजी श्रीमती माया देवी का आधार कार्ड व मेरा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड करीब 10 दिन पूर्व पटवारी जी को दिये थे, कल इन्होंने मुझे सहमति पत्र का फार्म लाने के लिए कहा था। उस दौराने पटवारीजी ने मुआवजा दिलवाने के लिए 8000/-रूपये रिश्वत की मांग की थी। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार की गई। ट्रेप कार्यवाही में विडियोग्राफी में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड को विडियो कैमरा से निकालकर कार्ड रीडर की सहायता से लैपटॉप से कनैक्ट कर दो पैन ड्राईव तैयार किये गये

। एक पैन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट किया गया तथा एक पैन ड्राईव को अनुसधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को कार्ड के सैफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर मार्क M अंकित कर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कार्यवाही में वजह सबूत को सील मोहर करने में प्रयुक्त पीतल की सील नंबर 80 की फर्द नमूना सील तैयार की गई। घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। आरोपी श्री दीपचंद मीणा राजस्व पटवारी को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। मौका की सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान, मय परिवादी श्री सतपाल व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दीपचंद मीणा के ग्राम पंचायत भवन 3 पीडब्ल्यूएम से आरोपी के सरकारी आवास खाजूवाला के लिए रवाना होकर खाजूवाला में आरोपी के राजस्व क्वार्टर संख्या 25 पर पहुंचा। श्री भगवानदास कानिस्टेबल से विडियो कैमरा चालू करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी के सरकारी क्वार्टर की जरिए फर्द खाना तलाशी ली गई। दौरान खाना तलाशी आरोपी से परिवादी से संबंधित दस्तावेज का पूछने पर आरोपी श्री दीपचंद मीणा राजस्व पटवारी ने अपने कक्ष में बनी अलमारी से परिवादी से संबंधित दस्तावेज पेश किये। आरोपी के सरकारी आवास की खाना तलाशी के दौरान की गई विडियोग्राफी के मूल मैमोरी कार्ड से कार्ड रीडर की सहायता से कार्यालय के लैपटॉप से कनैक्ट किया गया कर मूल मैमोरी कार्ड की सहायता से तीन पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट किया गया, एक पैन ड्राईव न्यायालय प्रति के लिए खुला रखा गया तथा एक पैन ड्राईव को अनुसधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कार्यवाही की फर्द सीलचिट मूल मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी तैयार की जाकर शमिल कागजात की गई। परिवादी से संबंधित दस्तावेज जरिए फर्द जब्ती जब्त किये गये। तत्पश्चात आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री सतपाल, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दीपचंद मीणा राजस्व पटवारी, माल वजह सबूत व ट्रेप सामग्री हमराह लेकर जरिए निजी व किराये के वाहन से खाजूवाला से रवाना होकर वक्त 10.45 पीएम पर ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में सील्डशुदा प्रादर्श, रिश्वती राशि, मैमोरी कार्ड, पैन ड्राईव, खुले पैन ड्राईव श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक के जरिए सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात आरोपी श्री दीपचंद मीणा को रात्री सुरक्षार्थ पुलिस थाना सदर हवालात में दाखिल करवाया गया। देर रात्री का समय होने से गवाहान व परिवादी को रात्री विश्राम व दैनिक क्रियाक्लाप से निवृत होकर प्रातः 09.30 बजे उक्त कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय बीकानेर में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 05.03.2025 को वक्त 09.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान सर्वश्री लालचंद, बीरबल व परिवादी श्री सतपाल के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक से कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कर दिनांक 03.03.2025 को रिकॉर्ड हुई सत्यापन संबंधी वार्ताओं की सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना प्रारंभ की जाकर वक्त 01.20 पीएम तक पूर्ण कर सीलचिट कार्यवाही सम्पन्न की गई। दिनांक 03.03.2025 को रिकॉर्ड हुई वार्ताओं की दो क्लिप डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की मैमोरी में सेव होने से मूल डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को बतौर वजह सबूत सीलचिट किया जाना आवश्यक होने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 04.03.2025 को हुई वार्ताएं रिकॉर्ड हैं को निकालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सीलचिट किया गया। उक्त मूल मैमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दिनांक 04.03.2025 की रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड को कार्ड रीडर की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना प्रारंभ की गई। उक्त ट्रांसक्रिप्ट वक्त 03.50 पीएम तक मुर्तिब कर मूल मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पैन ड्राईव को एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट किया गया व एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड को एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट किया गया। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 04.03.2025 को आरोपी से वक्त लेन-देन सम्पर्क करने के दौरान डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी को चालू कर सुपुर्द किया गया था, जिसमें 42 सैकेण्ड की रिकॉर्डिंग हुई है, जिसमें मोटरसाईकिल चलने की आवाज है, इसके पश्चात के घटनाक्रम की वार्ता रिकॉर्ड नहीं हुई है। दिनांक 05.03.2025 को सीलचिट किये गये उपरोक्त वजह सबूत व खुले पैन ड्राईव मुख्य आरक्षक श्री राजेन्द्र नाई नंबर 127 के जरिए सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील को अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। आरोपी को जरिये रिमाण्ड फार्म माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में भिजवाने के आदेश प्रदान करने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया है कि परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम, निवासी 23 केवाईडी-बी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर के पिताजी श्री मनफूलराम के नाम से सिंचित/असिंचित 11 बीघा भूमि चक 23 केवाईडी-बी, तहसील खाजूवाला पर फसल खराबा का मुआवजा के लिए परिवादी द्वारा आरोपी श्री दीपचंद मीणा, राजस्व पटवारी पटवार हल्का 3 पीडब्ल्यूएम, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर को अपने पिता के नाम की भूमि की जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, जन आधार कार्ड

श्रीमति माया देवी पत्नी श्री मनफूलराम, शपथ पत्र, स्वयं का आधार कार्ड व अपने पिताजी श्री मनफूल पुत्र श्री रामरख के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां दी गई। आरोपी पटवारी श्री दीपचंद मीणा द्वारा दिनांक 02.03.2025 को परिवादी को अपने सरकारी क्वार्टर पर बुलाकर फसल खराबा का मुआवजा दिलवाने की एवज में 9000/-रूपये रिश्वत की मांग की गई। दौराने सत्यापन आरोपी श्री दीपचंद मीणा राजस्व पटवारी द्वारा परिवादी श्री सतपाल से परिवादी के कार्य के संबंध में वार्ता की गई। मांग सत्यापन वार्ता से निम्नानुसार वार्ताएं होना पाई गई। परिवादी- पांचेक हजार में नाको लाग ज्याई। आरोपी - ऊं हूं। परिवादी- हैं, तो। आरोपी- पैमेंट तो जितो ही लागसी जितो आपां कियो। परिवादी - हं। आरोपी पटवारी - जिते मैं बात हुई बितो ही लाग ई। परिवादी - ओ बाकी आलो काल कर द्यू तो। आरोपी - हूं। परिवादी- आज होवे कोनी यारो । आरोपी - काल कर दिया तो। परिवादी - दो उं और नाको लगा लेवो के। आरोपी - चार। परिवादी- हं। आरोपी- च्यार-च्यार और। परिवादी - नौ... थोड़ी होवे..... नौ किंया कर द्यूं। गरीब आदमी हूं... तड़के दो तीन तो और कर दूं, पांच हजार तो और के ईलाज करां। आरोपी - तीन ला दियो। परिवादी - हं। आरोपी - तीन ला दिया। परिवादी - हं.... आठ घणा ई। इस प्रकार आरोपी श्री दीपचंद मीणा राजस्व पटवारी द्वारा आठ हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा वक्त ट्रेप परिवादी श्री सतपाल पुत्र श्री मनफूलराम से आठ हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। दौराने कार्यवाही आरोपी के दाहिने व बांये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन लिया गया, जो क्रमशः हल्का गुलाबी व मटमैला प्राप्त हुआ। रिश्वती राशि आरोपी के पहनी हुई पैंट की सामने की दाहिनी जेब से निकालकर पेश करने पर कब्जा एसीबी ली गई तथा परिवादी से संबंधित कागजात दौराने कार्यवाही आरोपी के सरकारी आवास से बरामद हुए, जो जब्त किये गये। इस प्रकार आरोपी श्री दीपचंद मीणा राजस्व पटवारी द्वारा परिवादी के पिता के नाम की कृषि भूमि का फसल खराबा का मुआवजा दिलवाने की एवज में 9000/-रूपये रिश्वत की मांग कर 8000/-रूपये रिश्वत राशि लेने को सहमत होकर वक्त ट्रेप दिनांक 04.03.2025 को 8000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। आरोपी श्री दीपचंद मीणा पुत्र श्री बंशीलाल मीणा, उम्र 24 वर्ष निवासी गांव चक 6 केकेएम, डण्डी, तहसील पूगल, जिला बीकानेर हाल राजस्व पटवारी हल्का 3 पीडब्ल्यूएम खाजूवाला, जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) के तहत घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री दीपचंद मीणा, राजस्व पटवारी हल्का 3 पीडब्ल्यूएम खाजूवाला, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को प्रेषित है। (महेश श्रीमाली) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश श्रीमाली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपचंदं मीणा पुत्र श्री बंशीलाल मीणा, उम्र 24 साल, निवासी चक 6 केकेएम, डंडी, तहसील पूगल, जिला बीकानेर हाल राजस्व पटवारी हल्का 3 पीडब्ल्यूएम, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री इन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एस.यू.बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 64 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 270-73 दिनांक 06-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- जिला कलक्टर, बीकानेर,4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** INDER KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/03/2025 11:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/02/2001				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)